न्यायालय–उप जिलाधिकारी मेंहनगर, आजमगढ़।

वाद संख्या T201815060500811 /अन्तर्गत धारा 80उ0प्र0रा0संहिता

शान्ति जनसेवा संस्थान ग्राम अमौड़ा वजरिये

मुख्य ट्रस्टी सच्चिदानन्द राय पुत्र स्व0 चन्द्रबली मौजा–गौरा,परगना–बेलादौलताबाद

बनाम तहसील–मेंहनगर, जिला–आजमगढ़।

ग्रामसभा

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र सच्चिदानन्द राय पुत्र स्व0 चन्द्रबली राय प्रबन्धक शान्ति जनसेवा संस्थान साकिन अमौड़ा तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मौजा गौरा ,परगना–बेलादौलताबाद तहसील–मेंहनगर, आजमगढ़ की गाटा सं0 184क/0.563 व 184/1747/0.557 व 184छ/1.209हे0 संस्था की भूमि है उसके प्रबन्धक हम वादी है। उपरोक्त आराजी नेजाई पर वर्तमान समय में बहुत पहले से शिक्षण कार्य होता चला आ रहा है तथा मौके पर विद्यालय बना हुआ हैं जिसमें कमरे और बाउन्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। मौके पर कृषि कार्य नही होता है। मौके पर विवादित रकबा अकृषिक की स्थिति में हैं। विवादित आराजी को अकृषिक भूमि व लगान मुक्त घोषित करने की कृपा की जाय।

तहसीलदार मेंहनगर से जांच करायी गयी। तहसीलदार मेंहनगर द्वारा जांच कर अपनी आख्या दिनांक 12--02--2018 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आ0नं0 184/0.227हे0 पूर्व में अकृषिक किया गया है। इस प्रकार आ0नं0 184क/0.257हे0 लगान 3.00 रू0 व 184/1747/0.557हे0 लगान 12.30रू0 व 184छ/1.209हे0 लगान 13.36रू0 को मौके पर विद्यालय बने होने एवं विद्यालय हेतु खाली भूमि जो विद्यालय के अकृषिक उपयोग में ली जा रही है। अकृषिक घोषित करने हेतु संस्तुति सहित आख्या दी गयी है।

नायब तहसीलदार मेंहनगर से पुनः स्थलीय जाचँ आख्या मांगी गयी । नायब तहसीलदार मेंहनगर द्वारा जांच कर अपनी आख्या दिनांक 10–04–2018 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि गाटा सं0 184क/0.257 व 184/1747/0.557 व 184छ/1.209हे0 कुल रकबा 2.023हे0 पर गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग में लाई जाती है। जिसमें से रक्बा 0.300हे0 पर भवन निर्मित है शेष विद्यालय उपयोग हेतु खाली है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं नायब तहसीलदार मेंहनगर की आख्या का अवलोकन किया गया। विवादित आ0नं0 184क/0.257 व 184/1747/0.557 व 184छ/1.209हे0 कुल रकबा 2.023हे0 पर गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग में लाई जाती है। जिसमें से रक्बा 0.300हे0 पर विद्यालय का भवन निर्मित है शेष विद्यालय उपयोग हेतु खाली है। उक्त रकबे पर कृषि कार्य नही होता है, इसलिए उक्त रकबा अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मौजा–गौरा, परगना–बेलादौलताबाद, तहसील–मेंहनगर, आजमगढ़ की आ0नं0 184क/0.257 व 184/1747/0.557 व 184छ/1.209हे0 कुल रकबा 2.023हे0 भूमि अकृषिक व लगान मुक्त घोषित की जाती है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो।बाद आ0का0 पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उप जिलाधिकारी मेंहनगर,
आजमगढ़। 11/4/18

नकल असल ... 1-305

1193

Chief Trustee
Shanti Jansewa Sansthan
Amaura, Azamgarh (U.P.)